

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Email:-dfo\_pauri\_uta@yahoo.co.in ,

Phone/Fax no:-01368-222215

पत्रांक:- 45 / 12-1 : दिनांक: पौड़ी, माह, जून, 03 2024

सेवा में,

वन संरक्षक,  
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

प्रस्ताव सं०- FP/UK/ROAD/155204/2022

विषय- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड, पोखड़ा के अन्तर्गत रीठाखाल-दुधारखाल मोटर मार्ग के ग्राम तलगल तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.360 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- भारत सरकार की पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./06/62/2022/एफ.सी./874 दिनांक 23-09-2022 एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., पौड़ी की पत्र सं० 1960/2 भू०आ०, दिनांक 07-11-2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि प्रस्तावक विभाग तथा इस वन प्रभाग द्वारा प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार से कर दिया गया है:-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तरालेख
1	6 muck dumping sites covering an area of 0.165 ha area are proposed in the non-forest land. However, on perusal of KML file, it is noticed that only three muck dumping sites are marked out of which the first site appears to be in forest land and remaining two in non-forest land. State Government is requested to clarify this discrepancy, and submit revised proposal accordingly.	बिन्दु सं०-1 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव के मक डिस्पोजल प्लान में 06 स्थानों पर मलबा निस्तारण हेतु त्रुटिवश अंकित गया था। विषयगत मोटर मार्ग के सापेक्ष प्रस्तावक विभाग द्वारा नापभूमि के 0.165 है० में 03 मलबा डम्पिंग स्थलों का चयन किया गया है जिसकी के०एम०एल० फाईल प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑन लाईन पार्ट-1 में अपलोड की गई है।
2	State Government is also requested to upload the muck dumping plan duly authenticated by the concerned DFO.	बिन्दु सं०-2 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा मक डम्पिंग योजना प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर उपरान्त पार्ट-1 में ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है जिसे हार्ड प्रति में भी संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-1)
3	Details of saplings shall be provided at para 4 in Part II.	बिन्दु सं०-3 के अनुपालन में विषयगत प्रकरण में 0-10 Saplings (पौध) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।
4	Species wise and girth wise details of trees proposed to be affected in road cutting area and, in the area, proposed for muck dumping shall be submitted, separately.	बिन्दु सं०-4 के अनुपालन में विषयगत प्रकरण के सिविल वन भूमि में कुल 30 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जिनका विवरण पूर्व से ही हार्ड प्रतियों में एवं पार्ट-1 में ऑन लाईन अपलोड किया गया है। मलबा डम्पिंग क्षेत्र का चयन प्रस्तावक विभाग द्वारा नाप भूमि में चयनित किया गया है जिसमें वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।
5	Details of alternatives examined is not found uploaded at para D (ii) (a) in part I. However, alternative alignment has been proposed in the KML file which appears to be less densc. State Government is requested to explanin the reason for rejection of the same.	बिन्दु सं०-5 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मोटर मार्ग के वैकल्पिक संरेखण में 85 वृक्षों का पातन होने एवं मार्ग की लागत बढ़ने के कारण वैकल्पिक समरेखण को नहीं लिया गया है जिसे के०एम०एल० फाईल में हरे रंग से दर्शाया गया है।
6	Justification submitted for the construction of the road in the forest area is not found authenticated by DFO, which is required to be done.	बिन्दु सं०-6 के अनुपालन में अवगत करना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा औचित्य प्रमाण-पत्र प्रभागीय वनाधिकारी से हस्ताक्षर करने के उपरान्त पार्ट-1 में ऑन लाईन अपलोड किया गया है, तथा हार्ड प्रति में भी संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-2)

7	FRA certificate issued by District shall be submitted prior to the stage II approval.	बिन्दु सं०-7 के अनुपालन में अवगत करना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा FRA Certificate पूर्व से ही प्रस्ताव के प्रारूप-23.3 में प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
8	Plantation scheme of 720 trees along with KML file and map & estimate shall be submitted.	बिन्दु सं०-8 के अनुपालन में अवगत करना है कि विषयगत प्रकरण के सापेक्ष 720 वृक्षों की योजना, मानचित्र हार्ड प्रति में तथा ऑन लाईन भी प्रेषित किये जा रहे हैं, तथा के०एम०एल० फाईल को ऑन लाईन अपलोड करने का विकल्प पार्ट-1 एवं पार्ट-11 में न होने के कारण के०एम०एल० फाईल सी०डी० के माध्यम से आपको प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-3)
9	Tree enumeration list with a mention the date on which the counting was carried out shall be submitted.	बिन्दु सं०-9 के अनुपालन में अवगत करना है कि इस वन प्रभाग द्वारा वृक्षों की व्यासवार गणना सूची पार्ट-11 के पैरा 4 के (ii) में तथा Additional information detail के क्रमांक-4 में ऑन लाईन पोर्टल में दिनांक सहित अपलोड की गई है।
10	Covering letter of administrative approval shall be uploaded.	बिन्दु सं०-10 के अनुपालन में अवगत करना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा आपत्ति का निराकरण पार्ट-11 के Additional information details के क्रमांक 4 में ऑन लाईन अपलोड किया गया है।

अतः विषयगत प्रस्ताव ऑनलाईन आपको यथोचित कार्यवाही हेतु संलग्न कर सादर प्रेषित किया जा रहा है।  
संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,  
*Saw*  
(स्वप्निल अनिरुद्ध)  
प्रभुगीय वनाधिकारी,  
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।